राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com,

पत्रांकः—आर0एम0पी0यू0/629/2024 दिनांकः—10 अप्रैल, 2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ।

विषयः—दिनांक 29.02.2024 को NCORD राज्य स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 14.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3 उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र सं0—625/सत्तर—3—2024 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके साथ पुलिस महानिरीक्षक ANTF उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र सं0—DG-VII-ANTF (NCORD MEETING)/2022/08/(3) दिनांक 14.03.2024 की प्रति भी संलग्न की गई है।

उपरोक्त के अनुपालन में संलग्न कार्यवृत्त सं0—डी0जी0—सात—एन्कार्ड बैठक (राज्य स्त0)2023/05(3) दिनांक 14.03.2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या ANTF के ईमेल—antf.lu@up.gov.in तथा विश्वविद्यालय के ईमेल **rmpuinfo@gmail.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

10/4

डा0(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक,उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी, वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाईल।

10.04.24

उप कुलसचिव

V letter

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 625 / सत्तर–3–2024

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2024**

विषयः दिनांक 29.02.2024 को NCORD राज्य स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 14.03.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक ए0एन0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–DG-VII-ANTF (NCORD MEETING) / 2022 / 08(3), दिनांक 14.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नार्को कार्डिनेशन मैकेनिज्म सेन्टर (NCORD) के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2024 की प्रथम बैठक दिनांक 29.02.2024 के कार्यवृत्त संख्या–डीजी–सात–एन्कार्ड बैठक (राज्य स्त0)2023 / 08(3) दिनांक 14.03.2024 का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या ANTF के ई–मेल आई0डी0–ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक ए0एन0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–DG-VII-ANTF (NCORD MEETING) / 2022 / 08(3), दिनांक 14.03.2023 की छाया प्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यवृत्त संख्या–डीजी–सात–एन्कार्ड बैठक (राज्य स्त0)2023 / 08(3) दिनांक 14.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए एवं उसकी अनुपालन आख्या एक पक्ष में ANTF के ई–मेल आई0डी0–ig-antf.lu@up.gov.in एवं उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के ई–मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

तृतीय तल (टावर 01), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

पत्रसंख्याः DG-VII-ANTF (NCORD MEETING)/2022/08(3) दिनांक- मार्च, 14 2024

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक..................

सेवा में,

1-प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश।

2-अपर मुख्य सचिव, एफएसडीए, उत्तर प्रदेश।

3-अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।

4- अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।

5- अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

7- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

8- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

9- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

10- परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज (UPSACS), उत्तर प्रदेश।

11- आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

12- ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।

13- अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी), उत्तर प्रदेश।

14- चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक, उत्तर प्रदेश।

15- संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

16- ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।

17- ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/ एसएसबी, लखनऊ

18- उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उत्तर प्रदेश।

19- डीआईजी आरपीएफ, उत्तर प्रदेश।

20- स्टेट ड्रग कंट्रोलर/ फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन, उत्तर प्रदेश।

21- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, महानगर, लखनऊ।

22- क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर।

23- निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।

(आर० पी० चौधरी)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

विषयः दिनांक- 29.02.2024 को आहूत NCORD राज्य स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृत्त दिनांक-14.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि NCORD **"राज्य स्तरीय समिति"** की वर्ष **2024** की **प्रथम बैठक** मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन की अध्यक्षता में **दिनांक- 29.02.2024 को** सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवृत्त दिनांक-14.03.2024 इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. अत: अनुरोध है कि NCORD "राज्य स्तरीय समिति" की वर्ष 2024 की प्रथम बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 14.03.2024 का अनुपालन कराते हुए, अनुपालन आख्या ANTF की ई-मेल आईडी – ig-antf.lu@up.gov.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(अब्दुल हमीद) 14/03/24

पुलिस महानिरीक्षक,

ए0एन0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश।

O/C

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक; कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ., उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन को सादर सूचनार्थ।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नार्को को–आर्डिनेशन सेन्टर(NCORD) के कियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत राज्य स्तरीय समिति की वर्ष 2024 की प्रथम बैठक दिनांक 29.02.2024 की कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :

1. डॉ0 हरिओम, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. श्री एम0पी0 अग्रवाल, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा।
3. श्री एस0के0 भगत, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0।
4. श्री संजीव गुप्ता, सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
5. श्री रतन संजय पुलिस महानिरीक्षक, एस0एस0बी0 लखनऊ।
6. श्री अब्दुल हमीद, पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0।
7. श्री डी0पी0 गिरि, विशेष सचिव, आबकारी, उ0प्र0 शासन।
8. श्री अवधेश तिवारी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
9. श्री शिव सहाय अवस्थी, विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
10. श्री अजय द्विवेदी, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. श्री महेश कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक, एस0एस0बी0 लखनऊ।
12. श्री प्रतीश कुमार, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर, एस0आई0बी0, लखनऊ।
13. डॉ0 बी0पी0 सिंह कल्याण, निदेशक स्वास्थ्य।
14. श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, अपर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।
15. श्री राजेश कुमार, अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक)।
16. श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, जोनल डायरेक्टर, एन0सी0बी0, लखनऊ।
17. डॉ0 जितेन्द्र तोमर, निदेशक कृषि, लखनऊ।
18. श्री कृष्णा प्रसाद, उपनिदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ।
19. डॉ0 रूनझुन, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर डी0आर0आई0, लखनऊ।
20. डॉ0 मनोज कुमार वर्मा,एस0एस0ए0, एफ0एस0एल0 लखनऊ।
21. श्री के0एम0 यादव, डिप्टी डायरेक्टर, एफ0एस0एल0 लखनऊ।
22. श्री एस0के0 पाठक, अधीक्षक सीबीएन।
23. श्री दिनेश कुमार तिवारी, ए0सी0डी0, एफ0एस0डी0ए0, लखनऊ।
24. श्री रामलोटन राजवंशी, राज्य मद्य निषेध अधिकारी उ0प्र0।

राज्य स्तरीय समिति के सदस्य संयोजक श्री अब्दुल हमीद, पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपस्थित सभी उच्चाधिकारियों का स्वागत कर पूर्व राज्य स्तरीय समिति की बैठक के निर्देशों का विभागवार अनुपालन प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

दिनांक 24.11.2023 को मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन :

(i) निर्देशानुसार एनकार्ड जिला स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किये जाने हेतु एएनटीएफ द्वारा अनुस्मारक प्रेषित किये गए हैं। वर्ष 2022 में 79 बैठकों के सापेक्ष वर्ष 2023 में 639 बैठकों का आयोजन किया गया है तथा वर्ष 2024 में 31.01.2024 तक 66 बैठकें आयोजित की गयी हैं, जबकि 09 जनपदों(हापुड़, फतेहगढ़, जालौन, महाराजगंज, बहराइच, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, कमि0 प्रयागराज) द्वारा बैठक नहीं की गयी हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला स्तरीय बैठकों में हुए सुधार पर सन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि समस्त जिलाधिकारियों को मेरी ओर से पत्र प्रेषित किया जाये। पत्र में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया जाये कि विभिन्न ड्रग लॉ इन्फोर्समेन्ट एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं मादक पदार्थों के डिमाण्ड रिडक्शन, सप्लाई रिडक्शन व हार्म रिडक्शन की दिशा में कार्य करने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय होना अनिवार्य है, जो जिला स्तरीय समिति की बैठकों के

नियमित आयोजन से प्राप्त किया जा सकता है, अतः इन बैठकों को नियमित रूप से आयोजित किया जाये। जिन जनपदों द्वारा नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं की जा रही हैं, का उल्लेख पत्र में किया जाये। आगामी मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिलाधिकारियों की बैठक में उक्त पत्र प्रस्तुत किया जाए ताकि सभी अधिकारियों से वार्ता कर अनुपालन कराया जा सके।

(कार्यवाही–ANTF)

(ii) वर्ष 2022 के सापेक्ष कार्यवाही कम होने के दृष्टिगत निर्देशानुसार सम्बन्धित जोन/कमि0 के साथ आपसी समन्वय बेहतर बनाकर विशेष अभियान चलाते हुये वर्ष 2023 में प्रदेश स्तर पर कुल–61685.14 किलोग्राम के मादक पदार्थों की बरामदगी की गयी है तथा धारा–68 ई व एफ के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण व पिट एनडीपीएस की कार्यवाही की गयी है। वर्ष 2024 में माह जनवरी तक कुल 4653.88 किग्रा0 मादक पदार्थों की बरामदगी हुयी है।

एएनटीएफ द्वारा वर्ष–2023 में 10369.14 किलोग्राम(अनुमानित मूल्य–73 करोड 87 लाख 75 हजार पांच सौ) मादक पदार्थों की बरामदगी करते हुये 90 अभियोग पंजीकृत कराये गये। जिनमें गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या–252 है। वर्ष 2024 में अब तक 1736.17 किग्रा(अनुमानित मूल्य–19 करोड़ 42 लाख) मादक पदार्थों की बरामदगी करते हुये 19 अभियोग पंजीकृत कराये गये तथा 39 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है। एएनटीएफ द्वारा जनपद आगरा में 02 व बरेली में 01 अवैध मादक पदार्थों के कारखानों का ध्वस्तीकरण कराया गया तथा वर्ष 2024 में जनपद बरेली में अवैध दवाओं का गोदाम पकड़ा गया है।

अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही व उपरोक्त बरामदगी पर संतोष व्यक्त करते हुये मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि देश में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध सर्वाधिक कार्यवाही/बरामदगी करने वाले 03 राज्य कौन से हैं, इसका विवरण/डाटा प्राप्त करते हुये उनके सापेक्ष उ0प्र0 राज्य द्वारा की गयी कार्यवाही/बरामदगी को तुलनात्मक रूप से देखा जाये तथा अगली बैठक में देश के अन्य प्रमुख राज्यों के सापेक्ष प्रदेश में की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जाये। प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध अधिकाधिक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–गृह विभाग/ANTF)

(iii) नशे के विरूद्ध स्कूल/कालेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, प्रचार –प्रसार किसी निश्चित अवधि के अतिरिक्त त्रैमासिक रूप से नियमित संचालित कराने के निर्देश के कम में एनकार्ड के सभी ड्रग लॉ इनफोर्समैन्ट एजेन्सी द्वारा समय–समय पर जागरूकता कार्यकम कराये जाते हैं। माह जनवरी 2024 में प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्त, जनपदीय पुलिस अधीक्षक से अपने–अपने क्षेत्र में क्यूआर कोड स्कैन कर ई–प्रतिज्ञा की कार्यवाही करायी गयी है। एनसीबी द्वारा लगभग 03 लाख ई–प्रतिज्ञाएं करायी गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि नशे के विरूद्ध स्कूल/कालेज एवं शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यकम, प्रचार–प्रसार नियमित रूप से संचालित कराये जाएं।

प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर नशे के दुष्परिणामों पर आधारित 199 वॉल पेंटिग कराई गयीं। जन जागरूकता हेतु 62 रैलियों व 471 नशा संगोष्ठियों का आयोजन, 60 स्पॉट पर आकाशवाणी चैनल के माध्यम से जिंगल ऑडियो प्रसारण तथा विभिन्न जनपदों मे 154 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर नशे के विरूद्ध प्रचार–प्रसार कराया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राम विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रसारित किये जाने वाले कम्यूनिटी वीडियो के माध्यम से एवं प्रमुख सचिव, शहरी विकास से समन्वय स्थापित कर स्मार्ट सिटी के अर्न्तगत चलाये जा रहे वीडियो प्रचार–प्रसार पर भी नशे के विरूद्ध जागरूकता प्रचार–प्रसार कराया जाये। इसके अतिरिक्त शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीसीटीवी के साथ लगाये गये साउण्ड सिस्टम तथा थाना/चौकियों पर लगे पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी नशे के विरूद्ध जनजागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–समाज कल्याण/गृह विभाग/आबकारी/ NCB/ANTF व सम्बन्धित विभाग)

(iv) एनडीपीएस एक्ट के लम्बित मुकदमों की सुनवाई हेतु विशेष सत्र न्यायालय मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–3069 / छः–पु0–9–23–31 (133) / 2019 दिनांक–28.07. 2023 द्वारा प्रत्येक जनपद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम तथा उनकी अनुपस्थिति में कनिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सशक्त करते हुये अमिहित किया गया है। शीर्ष 10 जिलों में केवल एनडीपीएस एक्ट के मामालों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इसे गम्भीरतापूर्वक देख लिया जाये कि क्या इसकी आवश्यकता है? शीर्ष 10 जिलों के स्थान पर वादों की संख्या के अनुसार 'हीट मैप' तैयार कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। जोनल डायरेक्टर एनसीबी, लखनऊ द्वारा जनपद लखनऊ में एनडीपीएस के 4706 वाद लम्बित होने का उल्लेख करते हुये कतिपय अन्य जनपदों में भी अधिक संख्या में वाद लम्बित होने तथा काफी संख्या में व्यावसायिक मात्रा से सम्बन्धित वादों के बारे में बताया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, गृह को निर्देशित किया गया कि न्याय विभाग से वार्ता / समन्वय स्थापित कर जानकारी कर ली जाये कि किन–किन जनपदों में केवल एनडीपीएस के लम्बित वादों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय को मनोनीत करना उचित होगा? तदनुसार आकलन / मूल्यांकन कर व न्याय विभाग से वार्ता कर कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–गृह विभाग / न्याय विभाग)

(v) निर्देशानुसार मादक पदार्थो के डिस्पोजल / निस्तारण की कार्यवाही खुले वातावरण में न कराने के निर्देश के कम में एएनटीएफ मुख्यालय के पत्र दिनांक 16.11.2023 के माध्यम से जनपदों के मेडिकल कालेज / सीएमओ कार्यालय से सम्पर्क कर वहाँ स्थापित इंसीनरेटर के माध्यम से मादक पदार्थो के डिस्पोजल / निस्तारण की कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित ड्रग लॉ इन्फोर्समेण्ट एजेंसीज)

(vi) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ऐसे हॉट–स्पॉट चिन्हित कर अवैध मादक पदार्थो के सेवन / कय–विकय करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश के कम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 271 हॉट–स्पॉट चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि समीक्षा कर देखा जाये कि कितने हॉट–स्पॉट पर प्रभावी कार्यवाही की गयी है तथा कार्यवाही के उपरान्त कितने हॉट–स्पॉट समाप्त हो गये हैं तथा निर्देशित किया गया कि यह भी देखा जाये कि एक हॉट–स्पॉट समाप्त होने उपरान्त जनपद के किसी दूसरे स्थान पर हॉट–स्पॉट न बनने पायें।

(कार्यवाही–गृह विभाग / ANTF/NCB / समस्त जनपदीय पुलिस)

(vii) प्रदेश में अफीम पोस्त की फसल को सी0बी0एन0 से समन्वय स्थापित कर कृषि विभाग द्वारा डिजिटल कॅाप सर्वे कराने के निर्देश के कम में निदेशक, कृषि द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा रबी फसल वर्ष 2023–24 में डिजिटल कॅाप सर्वे के अर्न्तगत अफीम की फसल को सर्वे करने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। यह भी बताया की लगभग 30 प्रतिशत फसल का सर्वे हो गया है तथा शेष का कराया जा रहा है। मार्च 2024 तक शत प्रतिशत सर्वे पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि सी0बी0एन0 व कृषि विभाग द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर प्रदेश में अफीम की फसल का डाटा ए0एन0टी0एफ0 से नियमित रूप से साझा की जाए, ताकि नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(कार्यवाही–सीबीएन / कृषि विभाग / एएनटीएफ)

(viii) विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद, गोरखपुर हेतु अत्याधुनिक विशिष्ट उपकरणों का सुविचारित प्रस्ताव एएनटीएफ / एनसीबी के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है जिसको एनसीबी द्वारा फॉलो–अप किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के कम में जोनल

डायरेक्टर, एनसीबी द्वारा बताया गया कि उक्त प्रस्ताव गृह मंत्रालय की अधिकार समिति की मंजूरी हेतु लम्बित है। यह भी बताया की अन्य 17 राज्यों के प्रस्ताव भी समिति की मंजूरी हेतु लम्बित चल रहे हैं, मंजूरी हेतु फॉलो–अप किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, गृह को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में जानकारी कर लें कि गृह मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित है तथा समन्वय स्थापित कर स्वीकृति की कार्यवाही करायी जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग / एनसीबी)

(ix) एफएसडीए द्वारा अभियान चलाकर अधिक से अधिक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश के कम में एफएसडीए के पत्र दिनांक 06.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 के मध्य कुल–65 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करते हुये लगभग रूपये 3.32 करोड़ मूल्य की स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियां जब्त की गयी। बैठक में उपस्थित एसीडी / एफएसडीए द्वारा बताया गया कि कोडिन युक्त कफ सिरप की बिकी पर रोक लगायी गयी है। सभी मुख्य स्टॉकिस्ट / होल सेलर के पास कितनी मात्रा में कोडिन युक्त कफ सिरप उपलब्ध है, इसकी सूचना उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश जारी हो गया है तथा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है। यह भी बताया कि वाराणसी के 80–85 डीलर हैं जिनके विरूद्ध एसटीएफ से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार जांच की जा रही है।

(कार्यवाही– FSDA / एसटीएफ)

(x) डाक विभाग का कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए डाक विभाग के प्रतिनिधि को बैठक में उपस्थित रहने हेतु सम्बन्धित को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। डाक विभाग द्वारा भेजे जाने वाले पार्सल को भेजते समय यह घोषण–पत्र भरवाया जाता है, इसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है, इसको डाक विभाग द्वारा गम्भीरतापूर्वक एवं समय–समय पर आकस्मिक रूप से चेक किया जाए तथा तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अब्दुल हमीद) 14/03/24
पुलिस महानिरीक्षक,
एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,
उ0प्र0, लखनऊ। O/C

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,

तृतीय तल(टावर–1), पुलिस मुख्यालय भवन, शहीद पथ, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी–सात–एन्कार्ड बैठक(राज्य स्त0)2023 / 8(3) दिनांकःमार्च , 2024

<u>उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :</u>

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, एफ0एस0डी0ए0 उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0
6. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग उ0प्र0।
7. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0।
8. प्रमुख सचिव, स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

9. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. ज्यूरिसडिक्शनल एडीजी, डीआरआई, उत्तर प्रदेश।
14. उपनारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, उ0प्र0, लखनऊ।
15. डीआईजी, आरपीएफ, उ0प्र0, लखनऊ।
16. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, भारतीय डाक, उ0प्र0।
17. स्टेट ड्रग कंट्रोलर/फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिशट्रेशन, उ0प्र0।
18. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0।
19. ज्यूरिसडिक्शनल आईजी ऑफ बार्डर गार्डिंग एजेन्सी/एसएसबी, लखनऊ।
20. ज्यूरिसडिक्शनल डीडीजी, एनसीबी, उत्तर प्रदेश।
21. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, उ0प्र0, लखनऊ।
22. अपर निदेशक, आसूचना ब्यूरो(आईबी), उ0प्र0।
23. संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), उ0प्र0, लखनऊ।
24. परियोजना निदेशक, यू0पी0एस0ए0सी0एस0।
25. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीबी, गोरखपुर।